(वाद सं0–1164/2018)

28.10.2021

परिवादी, वीणा देवी, पूर्व सरपंच, ग्रामपंचायतराज–मानस नया पानापुर, अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

परिवादी का कथन है कि जब वह सरपंच के पद पर पदस्थापित थी तो बलिराम महतो द्वारा अंगद पासवान, तत्कालीन थाना प्रभारी, अकिलपुर थाना के संबंध में, उसके साथ अनावश्यक रूप से मारपीट कर पकड़कर ले जाने तथा छोड़ने हेतु बीस हजार रूपया रिश्वत लेने के संबंध में एक परिवाद पत्र दिया गया जिसे उसके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया गया।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को निर्देश दिया गया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी की ओर से तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनका कथन है कि कुछ ग्रामीणों द्वारा बलिराम महतो के साथ मारपीट की घटना को सत्य बताया गया है, जबकि कुछ ग्रामीणों द्वारा मारपीट एवं रिश्वत लेने की बात को असत्य बताया गया है।

आज परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामले में अंगद पासवान, तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित कर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

अब, जबकि परिवादी के परिवाद पत्र में अभिकथित आरोप पर तत्कालीन थानाध्यक्ष, अकिलपुर के विरूद्ध विभागीय स्तर पर विभागीय कार्यवाही चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के प्रतिवेदन (पृ0–37–34/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक